।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर ।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 09.10.2018

हत्या के मामलों में 2 आरोपी चढे पुलिस हत्थे

1. **थाना उच्चैनः–** गांव विलानचटपुरा थाना उच्चैन निवासी सुभान पुत्र रामरतन जाति कंजर ने गांव के ही चिन्नू वगैराह 15–20 जनों के विरूद्ध जमीनी विवाद को लेकर एक राय होकर प्रार्थी व परिजनों के साथ मारपीट कर बन्दूक व कट्टों से जानलेवा फायर करने जिससे रामवीर व चन्दरू की मौके पर ही मृत्यु हो जाने का एक मामला दिनांक 15.07.2017 को थाना उच्चैन पर मु0नं0 160/17 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302, 307, 336, 447 भा0द0स0 में पंजीबद्ध कराया था। श्री शिवरामसिंह स0उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद फरार आरोपी **1. शिवनारायण पुत्र सुन्दर जाति कंजर निवासी विलानचटपुरा थाना उच्चैन हाल विकासनगर उत्तमनगर नई दिल्ली** को गिरफतार किया गया है।

2. **थाना कामांः–** गांव सतवास थाना कामां निवासी सुरेश पुत्र अमरसिंह जाति ठाकुर ने गांव के ही डिगम्बर पुत्र मानसिंह जाति ठाकुर के विरूद्ध प्रार्थी के भाई सुन्दरलाल की सिर में चोट मारकर हत्या कर देने का एक मामला दिनांक 23.09.2018 को थाना कामां पर मु0नं0 450/18 धारा 302 भा0द0स0 में पंजीबद्ध कराया था। थानाधिकारी श्री परभातीलाल पु0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. डिगम्बर पुत्र मानसिंह जाति ठाकुर निवासी सतवास थाना कामां** को गिरफतार किया गया है।

मारपीट के मामले में 2 बालअपचारियों को किया निरूद्व

1. **थाना नदबईः–** गांव ऊंच थाना नदबई निवासी एक महिला ने गांव के ही निवासी 4–5 जनों के विरूद्व एकराय होकर प्रार्थिया के साथ मारपीट कर उसकी पुत्रियों के साथ छेड–छेडछाड करने का एक मामला दिनांक 05.08.2018 को थाना नदबई पर मु0नं0 506/18 धारा 323, 325, 341, 354, 452, 504, 354डी आईपीसी में दर्ज कराया था। थानाधिकारी श्री राजाराम पु0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले **गांव ऊंच थाना नदबई निवासी दो बालअपचारियों** को निरूद्व किया गया है।

लापरवाही से बाईक चलाकर टक्कर मारने के आरोप में बाईक चालक को गिरफ्तार कर

1. **थाना भुसावरः–** गांव मैनापुरा थाना भुसावर निवासी महेन्द्रसिंह पुत्र सांवल जाति जाटव ने गांव के निवासी बाईक चालक कुंवरसिंह के विरूद्व मोटसाईकिल को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये प्रार्थी की पुत्री में टक्कर मारकर घायल कर देने का एक मामला दिनांक 14.08.2018 को थाना भुसावर पर मु0नं0 410/18 धारा 279, 336, 337 आईपीसी के तहत पंजीबद्व कराया गया था। श्री गोविन्दसिंह स0उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. कुंवरसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी मैनापुरा थाना भुसावर** को गिरफतार किया गया है।

धोखाधडी के मामले का आरोपी गिरफ्तार

1. **थाना नगरः–** गांव जालूकी थाना नगर निवासी श्रीमती रामबाई पत्नी टुण्डा जाति जाटव ने गांव ही निवासी भोलाराम पुत्र किशोरीलाल जाति जाटव के विरूद्व प्रार्थिया के साथ धोखाधडी कर यूएसके इंडिया कम्पनी में पैसे जमा कराकर अधिक लाभ कमाने का झासां देकर रूपये हडप लेने का एक मामला दिनांक 14.09.2018 को थाना नगर पर मु0नं0 317/18 धारा 420, 406 भा0द0स0 में पंजीबद्ध कराया था। श्री भूरीसिंह स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. भोलाराम पुत्र किशोरीलाल जाति जाटव निवासी जालूकी थाना नगर** को गिरफतार किया गया है।

अवैध चाकू सहित बाईक चालक पुलिस शिकंजे में

1. **थाना नदबईः–** श्री यदुवीरसिंह हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर कस्वा नदबई में अवैध चाकू लेकर घूमते हुये पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. असलम पुत्र नूरमौहम्मद जाति मुसलमान निवासी जवाहर कॉलौनी महुआ जिला दौसा** को एक अवैध चाकू (छुरा) व मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 14 डीएल 1321 सहित गिरफतार कर मु0नं0 608/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

अवैध हथियार सहित दो टटलूबाज चढे पुलिस के हत्थे

1. **थाना कामांः**– कल दिनांक 08.10.2018 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि गांव कलावटा की नहर पर दो व्यक्ति किसी बाहर की पार्टी को बुलाकर ठगी करने की फिराक में घूम रहे है। उक्त सूचना पर श्री अर्जुनसिंह स0उ0नि0 व श्री हरभानसिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता के मुखबिर के बताये सांकेतिक स्थाना पर पहुंचे तो वहां पर दो संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुये दिखाई दिये। जिन्हें पकडकर नाम–पता पूछा तो उन्होनें अपने नाम **1. धर्मेन्द्र पुत्र जयवीर जाति जाट निवासी बहज थाना डीग** व **2. राहुल पुत्र रहीमखां जाति मेव निवासी हाथिया थाना बरसाना यू0पी0** का होना बताया जिनकी तलाशी के दौरान कब्जे से 2 अवैध कट्टा 315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस मिले। आरोपियों को गिरफतार कर थाने पर मु0नं0 क्रमशः 476, 477/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

अवैध कट्टा व कारतूस सहित पुलिस पकड में

1. **थाना चिकसानाः**– श्री गरीबाराम हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पीपला रोड हथैनी मोड से **1. विजयसिंह पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी सूती थाना चिकसाना** को 1 अवैध कट्टा 12 बोर मय जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर मु0नं0 344/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

अवैध शराव सहित 10 जनों को धर दबोचा

445 पव्वा देशी व 55 लीटर कच्ची शराब बरामद

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से एक भट्टी व 500 लीटर वाश को नष्ट कर 445 पव्वा देशी तथा 55 लीटर अवैध कच्ची शराव जप्त कर 10 ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना कोतवाली भरतपुरः**– श्री राकेशमान हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर बागपतिया तिराया से **1. कुंवरसिंह उर्फ धुल्लड पुत्र ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी बांसीखुर्द थाना सेवर** को 54 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 481/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया है।

2. **थाना उधोगनगरः**— उधोगनगर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग—अलग स्थानों से **1. कालीचरन पुत्र अमरसिंह** व **2. बच्चनसिंह पुत्र मुन्शीलाल जातियान लोधा निवासियान लुधवाडा थाना उधोगनरगर** को क्रमशः 58, 54 पव्वा (कुल 112 पव्वा) अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 286, 287/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

3. **थाना नदबईः**— श्री नवलकिशोर हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव केसरा से **1. आरामसिंह पुत्र अतरसिंह जाति राजपूत निवासी केसरा थाना नदबई** को 52 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 608/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

4. **थाना बयानाः**— श्री ताराचंद हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा बयाना से **1. गंगाराम पुत्र गटरी जाति जाटव निवासी गुरधानदी थाना बयाना** को 55 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 585/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

5. **थाना डीगः**— डीग पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग—अलग स्थानों से **1. पवनकुमार पुत्र मौहरपालसिंह जाति जाट निवासी गारौली थाना डीग** व **2. मौहरपाल पुत्र पांच्याराम जाति जाटव निवासी दांतलौठी थाना डीग** को क्रमशः 62—62 पव्वा (कुल 124 पव्वा) अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 563, 564/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

6. **थाना कामांः**— श्रीचन्द हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर नन्देरा पुलिया से **1. लाखन पुत्र नट्टी जाति ठाकुर निवासी सतवास थाना कामां** को 48 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 480/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

7. **थाना पहाडीः**— श्री रमेशचंद स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव नागल से **1. शौकीन पुत्र सरफू जाति कुरैशी निवासी पुन्हाना हरियाणा** को 5 लीटर अवैध कच्ची शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 287/18 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

8. **थाना जुरहराः**— थानाधिकारी श्री नवलकिशोर पु0नि0 मय जाप्ता द्वारा मुखविर की सूचना पर जंगल गांव सहसन में एक भट्टी को तोडकर व 500 लीटर वाश को नष्ट कर मौके से **1. पप्पू पुत्र गुरदीप जाति रायसिक्ख निवासी सहसन थाना जुरहरा** को गिरफतार कर कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराव जप्त कर मु0नं0 262/18 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

10 स्थाई वारंटी/वारंटी बन्द हवालात

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग–अलग स्थानों से 3 स्थाई वारंटी व 7 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना अटलबंदः–** अटलबंद पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग–अलग स्थानों से वारंटी **1. कमल पुत्र मानसिंह जाति जाटव निवासी सहयोगनगर थाना मथुरागेट** व **2. मनोजकुमार पुत्र लक्ष्मनप्रसाद जाति वैश्य निवासी मोरीचार बाग थाना मथुरागेट** को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना सेवरः–** सेवर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग–अलग स्थानों से स्थाई वारंटी **1. होतीसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी गणेशनगर थाना सेवर** व वारंटी **2. हेमन्त कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाटव निवासी कमलपुरा थाना सेवर** को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना बयानाः–** श्री उदयसिंह हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव वाईधुरसी थाना सूरौठ जिला करौली से स्थाई वारंटी **1. भगवानसिंह पुत्र नत्थीलाल जाति जाटव निवासी धाधरैन थाना बयाना हाल वाईधुरसी थाना सूरौठ जिला करौली** को गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना नदबईः–** श्रीचन्द हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा नदबई से वारंटी **1. बनवारी पुत्र उम्मेद जाति राजपूत, 2. रूपकिशोर पुत्र होतीलाल जाति खाती** व **3. गिरधारी पुत्र खूबीराम जाति ब्राह्मण निवासियान केसरा थाना नदबई** को गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** श्री बृजलाल हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव झीलरा से वारंटी **1. विजयपाल पत्र कमला जाति बघेल निवासी झीलरा थाना सेवर** को गिरफ्तार किया गया है।

6. **थाना लखनपुरः–** श्री रमेशचन्द स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर नादौती जिला करौली से स्थाई वारंटी **1. राजेश पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी नादैती जिला करौली** को गिरफ्तार किया गया है।

3 शराबी वाईक चालक पुलिस पकड में

1. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** श्री सुरेशचंद स0उ0नि0 द्वारा कुम्हेरगेट चौराहा से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. हरीशचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति प्रजापत निवासी नमककटरा थाना कोतवाली भरतपुर** को गिरफतार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

2. **थाना सेवरः–** श्री रमेशचंद स0उ0नि0 द्वारा कस्वा सेवर से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी मांझी थाना नदबई** व **2. कुलदीपसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति जाट निवासी सौंख थाना कठूमर जिला अलवर** को गिरफतार कर दोनों मोटरसाईकिलों को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 14 जने गिरफ्तार

1. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** श्री सुरेशचंद स0उ0नि0 द्वारा कुम्हेरगेट चौराहा से 1. किशनसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति जाटव निवासी नदिया मौहल्ला थाना कोतवाली भरतपुर व 2. बबलू पुत्र ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी रहमानपुरा थाना सेवर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना अटलबंदः–** थानाधिकारी श्री कमलेश मीणा उ0नि0 द्वारा हीरादास चौराहा से 1. नीतू पुत्र गोर्धनसिंह जाति जाट निवासी नामखेडा थाना नदबई व 2. पूरनसिंह पुत्र बबलूराम जाति प्रजापत निवासी अनाहगेट थाना अटलबंद को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना मथुरागेटः–** श्री सम्पतसिंह स0उ0नि0 द्वारा बिजलीघर चौराहा से 1. अनूपसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी पैहरसर थाना नदबई, 2. अजयसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाटव निवासी पटपरा मौहल्ला थाना मथुरागेट, 3. निहालसिंह पुत्र हरीकिशन जाति जाट निवासी राधिकानगर थाना मथुरागेट, 4. वासुदेव पुत्र श्रीभानसिंह जाति सैनी निवासी सूरजपोलगेट थाना मथुरागेट, 5. हेमेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति बघेल निवासी गोपालगढ थाना मथुरागेट, 6. सतीश पुत्र रमेशचन्द जाति कुशवाह निवासी सामरे थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा यू0पी0 को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना सेवरः—** श्री रमेशचंद स0उ0नि0 द्वारा गांव बगधारी से 1. नाहरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति जाट निवासी सौंख थाना कठूमर जिला अलवर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना उच्चैनः—** श्री शिवरामसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा उच्चैन से 1. देवीसिंह पुत्र शंकरलाल जाति जाटव व 2. लक्ष्मन पुत्र गोपी जाति कोली निवासियान कस्बा उच्चैन को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

6. **थाना कामांः—** श्रीचन्द हैड कानि0 द्वारा कस्वा कामां से 1. लालसिंह पुत्र यादराम जाति ठाकुर निवासी सतवास थाना कामां को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 31 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना सेवरः—** श्री रमेशचंद स0उ0नि0 द्वारा गांव बगधारी से 1. मौहम्मद फहीम पुत्र अनीश जाति मुसलमान निवासी बडवाल नईबस्ती थाना देहात अमरोहा उ0प्र0, 2. जीतेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति जाटव निवासी इन्द्रानगर थाना अटलबन्ध, 3. नरेशसिंह पुत्र बिजेन्द्रसिंह, 4. योगेन्द्रसिंह पुत्र अतरसिंह जातियान जाट निवासियान जाजऊ थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा यू0पी0 व 5. योगेशकुमार पुत्र रामवीरसिंह जाति जाट निवासी सिरसा थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा यू0पी0 को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना नदबईः—** नदबई पुलिस द्वारा कस्वा नदबई से 1. रिंकू, 2. राजेश पुत्रान हरीसिंह जातियान जाटव निवासियान खेडीदेवीसिंह थाना नदबई, 3. अमितकुमार पुत्र बाबूलाल जाति जाटव निवासी रैना थाना लखनपुर, 4. कैलाश पुत्र प्रभू, 5. हजारी पुत्र प्रभूदयाल जातियान जाटव निवासीयान कस्वा नदबई व 6. सत्यपाल पुत्र उदयसिंह जाति जाट निवासी नगला सोगरिया थाना नदबई को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना सीकरीः—** श्री राधाशरण हैड कानि0 द्वारा गांव बासबुर्जा से 1. मौहम्मद हसन पुत्र दीनू जाति मेव निवासी बासबुर्जा थाना सीकरी को गिरफ्तार किया है।

4. **थाना कुम्हेरः—** श्री रामवतारसिंह उ0नि0 द्वारा कस्वा कम्हेर से 1. महेशचंद पुत्र धर्मसिंह जाति नाई व 2. प्रमोद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासियान डहरा थाना कुम्हेर को गिरफ्तार किया गया है

5. **थाना भुसावरः–** श्री मोहनसिंह स0उ0नि0 द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. राजसिंह पुत्र भजन जाति जाटव निवासी कस्वा भुसावर व 2. शैलेन्द्र पुत्र रतनसिंह जाति ब्राह्मण निवासी सिंघरावली थाना तांतपुर जिला आगरा यू0पी0 को गिरफ्तार किया गया है।

6. **थाना वैरः–** श्री हुकमसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा वैर से 1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र खुशीराम व 2. चेतराम पुत्र निरासी जातियान कोली निवासियान कस्वा वैर को गिरफ्तार किया गया है।

7. **थाना डीगः–** श्री हरिमन मीणा उ0नि0 द्वारा कस्वा डीग से 1. विजेन्द्रसिंह व 2. बृजेश पुत्रान खैमा जातियान जाटव निवासियान मौरोली थाना डीग को गिरफ्तार किया गया है।

8. **थाना खोहः–** थानाधिकारी श्री हेमराजसिंह उ0नि0 द्वारा कस्वा खोह से 1. इरसाद पुत्र रहमत जाति मेव निवासी पाडला थाना खोह व 2. लोकेश पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी जटेरी थाना खोह को गिरफ्तार किया गया है।

9. **थाना नगरः–** नगर पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. अखेसिंह पुत्र सुखराम, 2 विष्णु पुत्र बच्चूसिंह जातियान गुर्जर निवासियान केडौला थाना नगर व 3. पिन्टू पुत्र मुकेश जाति माली निवासी कस्बा नगर को गिरफ्तार किया गया है।

10. **थाना बयानाः–** श्री उदयसिंह हैड कानि0 द्वारा थाना परिसर से 1. सौनू, 2. प्रवेश पुत्रान गिर्राज, 3. सुरेशचन्द पुत्र मानसिंह जातियान कोली निवासियान कस्वा बयाना व 4. हरीनाथ पुत्र भूराराम जाति कोली निवासियान सहयोगनगर भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।

11. **थाना मथुरागेटः–** श्री राजेश हैड कानि0 द्वारा कृष्णानगर से 1. विजयसिंह पुत्र ननगू जाति प्रजापत व 2. हरदेव पुत्र रनवीर जाति दर्जी निवासियान कौरेंर थाना डीग को गिरफ्तार किया गया है।

114 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **114** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में **53** वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी **20** वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में **41** वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।